प्र.सं. 85/2017 धूला व अन्य बनाम उदा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.08.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चुण्डावतों का गुड़ा में वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ में वर्णित भूमियां स्थित हैं, जिसमें पक्षकारान सुविधानुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 आये दिन विवाद करते हैं। इसलिए वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठों में अंकित आराजियात का पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 25.06.2015 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात प्राप्त फर्द बंटवारे के आधार पर दिनांक 18.06.2016 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की। उक्त अंतिम डिक्री से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 10.07.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री जी. एस. मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 22 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें प्रथम बार दिनांक 25.06.2017 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील अन्दर मयाद में शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। हमने प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणाविगुण को [illegible] न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में [illegible] तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने 23	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी में से सिर्फ एक प्रतिवादी की उपस्थिति में बंटवारे की सहमति लेकर वाद प्रारम्भिक डिक्री कर दिया। बंटवारा प्रस्ताव मनमकसूद तरीके से तैयार किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में राजस्व कैम्प में प्रकरण रखकर बिना अपीलान्टगण को सूचना दिये एवं बिना सुने प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त की जावे एवं प्रकरण पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में दिनांक 31.03.2016 को विभाजन प्रस्ताव अप्राप्त लिखते हुए दिनांक 26.05.2016 के लिए अग्रिम पेशी नियत की गयी, किन्तु उक्त दिनांक के स्थान पर बिना कोई अग्रिम पेशी दिये पत्रावली दिनांक 18.06.2016 को राजस्व कैम्प में प्रस्तुत हुए, जिसकी सूचना अपीलान्टगण को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। तुद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 1/2015 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 18.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.10.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एस.एल. चौहान)
...न्ध अधिकारी
...एवं अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:13 IST
Reason: SelfAttested